


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अरूण कुमार मिश्र, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबन पूर्वी चम्पारण, जिनको विभागीय आदेश संख्या 3953 दिनांक 26.06.2012 द्वारा कतिपय आरोपों के लिए निलम्बित किया गया था एवं ज्ञाप सं० 7450 दिनांक 28.11.2012 द्वारा प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के लिये विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी, को निम्नांकित दण्ड संसूचित करते हुये श्री मिश्र को निलम्बन मुक्त किया जाता है एवं उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

1. दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।
2. श्री मिश्र द्वारा निलम्बन अवधि में बितायी गयी अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु यह अवधि पेंशन प्रदायी मानी जाएगी।


(सुरेश ठाकुर)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०८गो०आ०मोतिहारी-14/2012

2246

/खाद्य,पटना/दिनांक 10/4/2013

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रशाखा पदाधिकारी-03/श्री अफजल आजमी, आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री अरूण कुमार मिश्र, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


सरकार के संयुक्त सचिव।